

फा. सं. 24021/23/2016-पी एम-

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग)

जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 11 मई, 2018

सेवा में,

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी  
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी  
(सूची के अनुसार)

विषय: प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के निदेशकों, भागीदारों, स्वामियों, कर्मचारियों और गाड़स के पूर्ववृत्त का  
सत्यापन।


महोदय/महोदया,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005  
(पीएसएआर एक्ट) के अंतर्गत विनियमित होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी पीएसएआर एक्ट के अंतर्गत नियम  
बनाए हैं।

2. हाल ही में मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएसएआर अधिनियम  
के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारियों को कठिनाइयां आती हैं जिसके परिणामस्वरूप पीएसएआर एक्ट के  
अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को लायसेंस जारी करने/ उनका नवीकरण करने में  
विलंब होता है। इसका एक कारण प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के निदेशकों, भागीदारों अथवा स्वामियों के चरित्र और  
पूर्ववृत्त के सत्यापन में लगने वाला समय है।

3. आपको विदित है कि क्राइम एड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सीसीटीएनएस) सभी राज्यों/संघ  
राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह क्रियाशील हो आया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारियों को यह सलाह दी  
जाती है कि वे लायसेंस जारी करने/उनका नवीकरण करने संबंधी आवेदनों को प्रोसेस करते समय प्राइवेट सुरक्षा  
एजेंसियों के कार्मिकों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए सीसीटीएनएस डाटाबेस का प्रयोग करें ताकि इन  
कठिनाइयों तथा इनके कारण होने वाले विलंब से बचा जा सके। इससे लायसेंस जारी करने/उनका नवीकरण करने  
संबंधी आवेदनों की प्रोसेसिंग में तेजी लाने में नियंत्रक प्राधिकारियों को सहायता मिलेगी। नियंत्रक प्राधिकारियों को  
यह भी सलाह दी जाती है कि वे प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स और सुपरवाइजर्स के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए  
सीसीटीएनएस डाटाबेस का प्रयोग करें।

भवदीय,

  
(अमरीक सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार  
फोन 011-23385947

✓ प्रति प्रेषित:

अनुभाग अधिकारी, आईटी सैल, गृह मंत्रालय को गृह मंत्रालय और पीएसएआर वेबसाइट पर अपलोड करने के  
लिए।